न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
70/2015 प्रा.पत्र/2015	17.08.2015	01.02.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री शाहाबुद्दीन पुत्र श्री शफू खां जाति मुसलमान निवासी कारीगरों का मौहल्ला वार्ड नं. 12 अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक मैसर्स समीर एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक
2—मैसर्स समीर एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक
3—श्री निहाल चन्द जैन निवासी पुराने बस पोस्ट ऑफिस के पास वार्ड नं. 6 उनियारा जिला टोंक नॉमिनी मैसर्स मित्तल एजेन्सीज बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
4—मैसर्स मित्तल एजेन्सीज बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक
5—श्रीमति कविता सिंहल निवासी प्लॉट नं. 1 सिंघल भवन ईस्ट केटरी हाउस चांदपोल गेट जयपुर मैसर्स जगदीश नारायण रतन लाल सिंघल एण्ड कम्पनी ए—16 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर
6—मैसर्स जगदीश नारायण रतन लाल सिंघल एण्ड कम्पनी ए—16 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विक्रम जैन उप.।

:—**निर्णय**—: **दिनांक 01.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2015 को समय 04:10 पीएम पर मैसर्स समीर एन्टरप्राईजेज बस स्टैण्ड अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री शाहाबुद्दीन पुत्र श्री शफू खां मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शाहाबुद्दीन खां ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में 900

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ग्राम पैक के लगभग 10 पैकेट पैक्ड अवस्था में **पोहा (मधुबाला ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री शाहाबुद्दीन खां को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री शाहाबुद्दीन खां व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **पोहा (मधुबाला ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैकिंग की दिनांक नवम्बर 2014 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 900 ग्राम के चार पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पोहा (मधुबाला ब्राण्ड)** 900 ग्राम के चार पैकेट के एक–एक पैकेट वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–959 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–959 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री शाहाबुद्दीन खां ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स मित्तल एजेन्सीज बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स मित्तल एजेन्सीज से सम्पर्क किए जाने पर प्रो. श्री निहाल चन्द जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स जगदीश नारायण रतन लाल सिंघल एण्ड कम्पनी ए–16 सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ के के निर्माण एवं पैकिंग के लिए जिम्मेदार बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1232 दिनांक 15.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./188/एक्ट/2015/188 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **पोहा (मधुबाला ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **पोहा (मधुबाला ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पोहा (मधुबाला ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/— (अक्षर पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.02.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0